

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220554
SG-DL-E-16072020-220554

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2020/आषाढ़ 25, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 66
No. 130]	DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2020/ASHADHA 25, 1942	[N.C.T.D. No. 66

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foUk ¼jk tLo&1½ foHkkx

vf/k l|puk

दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

l+ 27@2019&jkT; dj ¼nj½

l+Qk- 3¼15%@foUk¼jk tLo&I½@2020&21@Mh, l&IV@27—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा.3(15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/382 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-4 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची II— 6% में कम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III— 9% में, कम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(1)	(2)	(3)
“163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के पदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर]
सुनील सहगल, उप सचिव—I V (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2020

No 27/2019- State Tax (Rate)

No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/27.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, —

- (a) in Schedule II - 6%, serial numbers 80AA and 171A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule III - 9%, after serial number 163A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secretary IV (Finance)